मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26 अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक / नियमन / प्रतिभूति / 2019–20, / 1554 भोपाल, दिनांक 22/03/2019

प्रति

1. संयुक्त / उप संचालक,
म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आँचलिक कार्यालय – (समस्त)

2. सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
(समस्त)

विषय : फल–सब्जी के व्यापारियों / वाणिज्यिक संव्यवहार करने वाले के अनुज्ञप्तियां स्वीकृति एवं नवीनीकरण पर प्रतिभूति के संबंध में ।

मध्यप्रदेश अधिनियम, संख्यांक 7 सन् 2012 द्वारा (दिनांक 27.01.2012 से) अन्तःस्थापित, मध्यप्रदेश राजपत्र (आसाधारण), दिनांक 27.01.2012, पृष्ठ कमांक 79–80 (3) पर प्रकाशित अधिसूचना द्वारा मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 6 में संशोधन उपरांत फल–सब्जी का व्यापार मण्डी प्रांगण से बाहर होने पर नियमन व्यवस्था समाप्त की गई है। इसके बावजूद मण्डियों के बेहतर प्रशासन, एवं पारदर्शिता के कारण किसानों का मण्डी व्यवस्था में विश्वास होने से फल–सब्जी मण्डियों में आवक बनी हुई है। इसी कारण प्रदेश मे निरंतर रूप मे फल–सब्जी मण्डियां अधिसूचित की जाने की आवश्यकता बनी रही है।

फल–सब्जी मंडियों मे अधिसूचित फसल को कृषको से सीधे क्रय करने वाले अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी / फर्म तथा वाणिज्यिक / द्वितीय संव्यवहार करने वाले व्यापारियो की अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने एवं नवीनकरण करने के लिये निम्नानुसार व्यवस्था स्थापित की जाती है।

(1) (अ) मण्डियों में फल–सब्जी विपणन हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति में प्रतिभूति के संबंध में व्यापारी संघों की मांग अनुसार यह निर्णय लिया गयां है कि मण्डियों में वर्तमान प्रचलित व्यवस्था अनुसार अनुज्ञप्ति हेतु स्थानीय व्यवस्था अनुसार जो भी प्रतिभूति (स्थानीय व्यवस्था अनुसार मण्डियों में अलग–अलग निर्धारित है) ली जा रही है यही व्यवस्था वर्तमान में निरंतर रखते हुये नवीन अनुज्ञप्तियां जारी की जावेंगी अथवा अनुज्ञप्तियां नवीनीकृत की जाएगी।

(ब) इसके साथ ही मण्डियों को मण्डी अधिनियम अंतर्गत दिए गए कर्त्तव्यों के परिपालन में किसानों का नियत समयावधि में भुगतान सुनिश्चित किया जावें । नियत समयावधि में भुगतान न करने वाले अनुज्ञप्तिधारियों पर मण्डी अधिनियम अनुसार त्वरित कार्यवाही की जावें तथा किसी भी स्थिति में किसानों का भुगतान शेष रहते हुए व्यापारियों के भुगतान न करने, दिवालिया हो जाने, या अन्यत्र चले जाने पर संबंधित मण्डी समिति / सचिव जिम्मेदार होंगे ।

(2) (अ) मण्डियों में अधिसूचित कृषि उपज के वाणिज्यिक/द्वितीयक संव्यवहार हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति में प्रतिभूति के संबंध में व्यापारी संघों की मांग पर विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि मण्डियों में वर्तमान प्रचलित व्यवस्था अनुसार अनुज्ञप्ति हेतु जो भी प्रतिभूति (स्थानीय व्यवस्था अनुसार मण्डियों में अलग–अलग निर्धारित) ली जा रही है वही प्रतिभूति वर्तमान मे भी ली जाकर वाणिज्यिक/द्वितीयक संव्यवहार हेतु नवीन अनुज्ञप्तियां जारी की जावेंगी अथवा अनुज्ञप्तियां नवीनीकृत की जाएगी ।

(ब) ऐसी अनुज्ञप्तियों पर किसानों से क्रय–विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा, इसकी सुनिश्चिता का उत्तरदायित्व संबंधित मण्डी समिति/सचिव का होगा। इसके लिए नियमित रूप से संबंधित अनुज्ञप्तिधारी का स्कन्ध/भण्डारण का निरीक्षण सुनिश्चित किया जायेगा ।

अतः प्रदेश की फल–सब्जी मंडियो मे अधिसूचित फसल को कृषको से सीधे क्रय करने एवं वाणिज्यिक/द्वितीयक संव्यवहार करने वाले अनुज्ञप्तिधारियो के संबंध मे आगामी आदेश तक उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

(फैज अहमद किदवई)
प्रबंध संचालक
म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

पृष्ठांकन क./नियमन/प्रतिभूति/2019–20/1555 भोपाल, दिनांक 22/03/2019

प्रतिलिपि–

1 अपर संचालक (समस्त) मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।

2 चीफ प्रोग्रामर (एम.आई.एस) मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल की ओर बोर्ड वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

22/3/19
प्रबंध संचालक
म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल